राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ–5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/पेयजल/19–20/ 17780–88 दिनांक : 8/8/2020

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
डूंगरपुर।

विषय : संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत हैण्डपम्प निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग : आपका पत्रांक टीएडी/डूंगरपुर/निर्माण प्रस्ताव/1454–56 दिनांक 07.07.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 8918–40 दिनांक 18.06.2020 द्वारा निम्नांकित हैण्डपम्प/**टयूबवेल/पनघट** निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति नियुक्त की गयी। कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या–3 में वर्णित स्थान पर हैण्डपम्प निर्माण हेतु कॉलम संख्या–7 में वर्णित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी–पंचायत समिति (राशि लाखो मे)

प्रशा. क्रम संख्या	क्र. स.	हैण्डपम्प निर्माण स्थान	ग्रा.पं.	पं.स.	प्रशा. स्वी. राशि	तकनीकी स्वीकृति	
						क्र/दि.	राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*
18	1	टयूबवेल/पनघट जीवराज/ शंकरलाल के घर के पास, तम्बोलिया	रामसौर	गलियाकोट	2.50	AEN/galiyakot/ 66/02.06.20	2.50
21	2	टयूबवेल/पनघट मोहन/लक्सी डामोर के घर के पासघोंणी के पास नैनसावा	रामसौर	गलियाकोट	2.50	AEN/galiyakot/ 66/02.06.20	2.50
24	3	हेण्डपंप सोमा/हलिया डोडीयार के घर के पास, पुचियावाडा	बाबा की बार	गलियाकोट	0.75	AEN/galiyakot/ 66/02.06.20	0.73
29	4	हेण्डपंप जीवा/लक्सी पारगी के घर के पास भटोडा/तम्बोलिया	रामसौर	गलियाकोट	0.75	AEN/galiyakot/ 66/02.06.20	0.73
				योग	6.50		**6.46**

विकास अधिकारी पंचायत समिति गलियाकोट से प्राप्त सूचना अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम संख्या 15 पर स्वीकृत हैण्डपंप वैधन एवं स्थापना कार्य चुन्नीलाल/मोगाजी डामोर के घर के पास ग्राम गडामेडतिया ग्राम पंचायत गडामेडतिया कार्य विधायक मद में स्वीकृत हो कर कार्य पूर्ण हो चुका है अतः विभागीय पत्रांक 25674–98 दिनांक 26.06.2019 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त की जाती है।

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या–103/2019–20 मे पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि 250.00 मे से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते मे उपलब्ध है।

<u>शर्तेः–</u>

1. स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो सूचित किया जावें।
2. निविदाएं समय पर आमंत्रित करवाई जावे। विलम्ब के लिये कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।

3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्त नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य सम्पादन निविदा जारी कर गुणवत्तापूर्वक किया जावें। योजना से अधिकांश जनजाति परिवार लाभान्वित हो।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी कार्यादेश से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति बिना नही किया जावें।
5. **योजना मे भू–जल वैज्ञानिक की रिपोर्ट प्राप्त निर्विवाद सरकारी भूमि पर ही कर वैधन किया जावें।** वेधन असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नही किया जावे।
6. निर्माण पश्चात संचालन ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा। संचालन के संबंध में सुनिश्चितता होने के पश्चात ही ट्यूबवेल का वेधन किया जावे।
7. कार्य प्रारंभ से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com में प्रेषित करें।
8. निर्मित हेण्डपंप पर **टीएडी की सहायता से स्वीकृति/वर्ष** का अंकन किया जावें।
9. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई बचत रहती है हो तो कार्य के उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः जनजाति विभाग को लौटाई जावे।
10. विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत विभाग से डिमाण्ड नोट प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ किया जावें।

-sd-

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)I.A.S
आयुक्त

क्रमांक एफ–5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/पेयजल/19–20/ 17780-88 दिनांक : 8/8/2020

प्रतिलिपि –

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या–103/2019–20 मे पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि 250.00 मे से राशि रू. 6.46 लाख (अक्षरे छः लाख छियालिस हजार मात्र) उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर को हस्तांतरित करें।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति डूंगरपुर।
6. निदेशक, मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. कम्प्युटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @rajasthan.gov.in,Website www.tad.rajasthan.gov.in

(10)